दिनांक 09.01.2026 को सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निर्माणाधीन **Construction of Officer's enclave 752 units at Gardanibagh, Patna** के निर्माण कार्य के तृतीय समयवृद्धि के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थितिः-

1. श्री कुमार रवि, - अध्यक्ष
   सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. श्री सुरेश प्रसाद प्रभाकर, - सदस्य
   अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
   भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
3. श्री ब्रजेश कुमार, - सदस्य
   मुख्य अभियंता(पटना), भवन निर्माण विभाग, पटना।
4. श्री विकास कुमार पाण्डेय, - सदस्य
   आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
   भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कार्यवाहीः-

1.	योजना का नाम एवं प्रस्ताव	-	Construction of Officer's enclave 752 units at Gardanibagh, Patna निर्माण कार्य के तृतीय समयवृद्धि की स्वीकृति का प्रस्ताव।
2.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	-	₹443.62 करोड़ (भवन निर्माण विभाग का पत्रांक 50(भ0) दिनांक 05.07.2018)
3.	योजना की समेकित पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	-	₹528.1269351 करोड़ (मुख्य अभियंता(नि0) का पत्रांक 1274(नि0)अनु0 दिनांक 06.12.2018 एवं मुख्य विद्युत अभियंता का पत्रांक 149(वि0) दिनांक 12.02.2024)
4.	विषयांकित कार्य हेतु एकरारनामा की राशि	-	₹518.63 करोड़
5.	संवेदक का नाम	-	Ahluwalia Contracts (India) Ltd., A-177, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020
6.	एकरारनामा संख्या	-	SBD-16/2018-19
7.	एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ की तिथि	-	29.05.2020
8.	एकरारनामा के अनुसार पूर्ण करने की तिथि	-	28.05.2022 (24 माह)
9.	प्रथम समयवृद्धि की तिथि एवं समय	-	दिनांक 30.06.2023 तक (17.08.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में सशर्त स्वीकृत)
10.	द्वितीय समयवृद्धि की तिथि एवं समय	-	दिनांक 30.07.2024 तक (01.03.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में सशर्त स्वीकृत)

11. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाहीः-

निर्माणाधीन Construction of Officer's enclave 752 units at Gardanibagh, Patna के निर्माण कार्य का एकरारनामा संवेदक Ahluwalia Contracts (India) Ltd., A-177, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020 से किया गया जिसका एकरारनामा संख्या-SBD-16/2018-19 है। एकरारनामा के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 29.05.2020 तथा कार्य पूर्ण करने की तिथि 28.05.2022 है। दिनांक

17.08.2022 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में दिनांक 30.06.2023 तक प्रथम समयवृद्धि सशर्त स्वीकृत की गयी है। दिनांक 01.03.2024 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में दिनांक 30.07.2024 तक द्वितीय समयवृद्धि सशर्त स्वीकृत की गयी है। कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1, पटना के द्वारा बतलाया गया कि वर्तमान में परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण एवं हस्तानांतरण की अवस्था में है।

अधीक्षण अभियंता, संरचना अंचल, पटना के पत्रांक 427 अनु0 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा दिनांक **15.09.2025** तक के लिए समयवृद्धि का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। उक्त समयवृद्धि के प्रस्ताव में विलम्ब का मुख्य कारण निम्नरूपेण प्रतिवेदित है:-

- कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1, पटना के पत्रांक 495 दिनांक 15.05.2020 द्वारा सरकार के उप सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, पटना को विषयांकित कार्य की महत्ता को देखते हुए स्थल पर अवस्थित कॉपरेटिव बैंक ब्लॉक संख्या-ई-1 होने को हटाने के दिशा में आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।
- दिनांक 05.06.2020 को प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आहूत बैठक की कार्यवाही के कंडिका-4 अंतर्गत गर्दनीबाग ऑफिसर्स इन्क्लेव के निर्माण स्थल पर अवस्थित कॉपरेटिव बैंक के लीज को जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा समाप्त करते हुए भवन को अन्यत्र Shift/Demolish किये जाने का निर्णय लिया गया।
- कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1, पटना के पत्रांक 577 दिनांक 08.06.2020 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना को अतिक्रमण हटाने/ लीज समाप्त करने संबंधी प्राथमिकता सूची के कंडिका-6 में गर्दनीबाग अवस्थित ऑफिसर्स इन्क्लेव के निर्माण हेतु गर्दनीबाग पथ संख्या-21 के सामने अवस्थित कॉपरेटिव बैंक के लीज समाप्त करने एवं उसे अन्यत्र जगह शीफ्ट करने का अनुरोध किया गया।
- दिनांक 17.11.2021 सचिव, भवन निर्माण विभाग के अध्यक्षता में बैठक की कार्यवाही की कंडिका-2 में यह निर्णय लिया गया कि क्रियान्वित की जा रही योजना की महत्ता के मद्देनजर सोसाईटी कार्यालय द्वारा प्रभावित हिस्से को अविलंब भवन निर्माण विभाग को योजना कार्य हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्थल की उपलब्धता योजना कार्य हेतु यथाशीघ्र सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि तत्काल सोसाईटी के पीछे यानि दक्षिणी भाग में बैंक के गार्ड एवं परिचारी के लिए निर्मित चार कमरा तथा शौचालय (जिसके कारण भवनों का निर्माण कार्य बाधित है) को तोड़कर उक्त परिसर को अन्य हिस्से में अथवा उपरी तल गार्ड एवं परिचारी हेतु कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1, पटना द्वारा अस्थायी व्यवस्था कर दी जायेगी।

- कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1, पटना के पत्रांक 569 दिनांक 26.05.2022 एवं पत्रांक 932 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा जिलाधिकारी, पटना को कार्य की महत्ता को देखते हुए अनुरोध किया गया है कि विषयांकित कार्य स्थल स्थित कॉपरेटिव बैंक सोसाईटी लि0, पटना अंतर्गत तीन छोटा पुराना गार्डरूम को ध्वस्तिकरण करने हेतु मजिस्ट्रेट एवं आरक्षी बल प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुरोध किया।
- विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-75-सहपठित ज्ञापांक-7738(भ0) दिनांक 28.10.2022 द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-10872/2022 दी कॉ-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, पटना बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 16.09.2022 को समाहर्ता, पटना की अध्यक्षता में गर्दनीबाग पुनर्विकास योजनान्तर्गत पड़ने वाले दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, पटना के स्थानांतरण से संबंधित मामले की सुनवाई की गयी। समाहर्ता, पटना के ज्ञापांक 6003 दिनांक 07.10.2022 द्वारा पारित आदेश के आलोक में दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, पटना के गार्ड एवं परिचारी के आवासन हेतु चार कमरे की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी है। उक्त के आलोक में बैंकिग सोसाईटी के गार्ड एवं परिचारी के आवासन हेतु आवास संख्या-152/800 तथा 154/800, 800 सेट अराजपत्रित आवास, शास्त्रीनगर, पटना को दी को-ऑपरेटिव बैंकिंग सोसाईटी लिमिटेड, पटना को एक वर्ष के लिए आवंटित किया गया।
- निर्माण स्थल पर कॉपरेटिव बैंक का मुख्य भवन मौजूद होने के कारण एक ब्लॉक का निर्माण कार्य एवं उससे संबंधित विद्युत, प्लंबिग तथा परिसर विकास कार्य प्रभावित हुआ। इस संदर्भ में कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल संख्या-1 के पत्रांक 1426 अनु0 दिनांक 02.07.2025 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-14469/2023 अंतर्गत The Co-operative Banking Society Ltd. Patna vs The state of Bihar and others में दिनांक-12.05.2025 को पारित न्याय निर्णय के "कंडिका-3 The dispute between the parties has had an interesting journey, although chequered. However, without going into the complexities of the issues involved in the present writ application, on the prodding of this Court, both the petitioner society as well as respondent-State have amicably settled all their disputes by agreeing to the following terms and conditions:

  (i) In lieu of all the reliefs claimed by the petitioner society, the respondent-State (Building Construction Department) has agreed to allot a total of 4 (four) flats in one block to the petitioner society in the officers flat at New Punaichak, Patna for operating its office;

  (ii) The above alternative acco mmodation will be given by the respondent-State (Building Construction Department) in a liveable/workable condition to the petitioner society and all expenses for making the accommodation liveable and functional shall be borne by the respondent-State;

  (iii) The above alternative accommodation shall be handed over to the petitioner society on or before 31st May, 2025

(iv) the petitoner society will vacate the current building/office at Gardanibagh, Patna and fully and finally shift in the above provided alternate accommodation within 45 (forty five) days from the date of the accommodation being handed over to the petitoner society" तथा कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना के आवास हस्तगत रजिस्टर के पेज संख्या-125 क्रम संख्या-4 में कॉपरेटिव बैंक सोसाईटी लिमिटेड, पटना द्वारा दिनांक 01.07.2025 को आवास संख्या-63/84 प्राप्त किये जाने हेतु साक्ष्य के आलोक में अविलम्ब स्थल स्थित कॉपरेटिव बैंक का मुख्य भवन को तोड़कर एकरारनामानुसार IC-3 Block निर्माण कार्य सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी संवेदक Ahluwalia Contracts (India) Ltd. को निदेशित किया गया।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने उपरोक्त बिन्दुओं पर समीक्षोपरान्त दिनांक **15.09.2025** तक के समयवृद्धि के कारण को उचित पाया।

12. <u>तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसाः-</u>

सम्यक् विचारोपरात तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य का समयवृद्धि दिनांक **15.09.2025** तक स्वीकृत करने की अनुशंसा पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-2106(एस) दिनांक 07.03.2017 के आलोक में तथा सहमति हेतु विभागीय निविदा समिति में रखने का निर्णय लिया गया।

13. <u>विभागीय निविदा समिति का निर्णयः-</u>

सम्यक् विचारोपरात विभागीय निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में विषयांकित कार्य का समयवृद्धि दिनांक **15.09.2025** तक स्वीकृत करने का निर्णय पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-2106(एस) दिनांक 07.03.2017 के आलोक में इस शर्त के साथ लिया गया कि दिनांक **15.09.2025** तक के समयवृद्धि की अवधि में संवेदक को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/एस0बी0डी0 के कंडिका-10सी0सी0/10सी0ए0 के तहत सामग्रियों के दर में बढ़ोत्तरी का दावा मान्य नहीं होगा। समयवृद्धि की स्वीकृति संबंधी आदेश निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता(पटना) को प्राधिकृत किया गया।

इस कार्यवाही को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड की जाय।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

9/1/26	09/1/2026	9.1.26	9/1/26
(विकास कुमार पाण्डेय)	(ब्रजेश कुमार)	(सुरेश प्रसाद प्रभाकर)	(कुमार रवि)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार, भ0नि0वि0, बिहार, पटना	मुख्य अभियंता(पटना) भ0नि0वि0, बिहार, पटना	अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भ0नि0वि0, पटना	सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक- भवन/मु0अभि0(प0)यो0परि0वि0-2-5/2018 - 135 (P) पटना, दिनांक- 12.10.2026

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

BK 09/11/2026

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य अभियंता(पटना),
भवन निर्माण विभाग, पटना